संख्याः-165/2026/740पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/22/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 15.10.2026

विषयः- संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-47/2026/311पू0व0नि0/35-1-2026/35-1099/22/2025, दिनांक 30.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद गोरखपुर में 34 कार्यों की रु. 2503.57 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु. 1253.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश की तालिका के क्रमांक-24 पर अंकित कार्य-वि0ख0 पाली ग्राम बउण्ड्रा में महेन्द्र सिंह के घर से जूनियर हाई स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रु. 54.85 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु. 27.00 लाख अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या-238/डीएसटीओ/क्षे0 वि0 पूर्वांचल निधि (राज्यांश)/2025-26 दिनांक 26-05-2026 द्वारा उक्त शासनादेश के क्रमांक-24 पर स्वीकृत उपर्युक्त कार्य की लागत रु. 54.85 लाख को संशोधित किये जाने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित संख्या-47/2026/311पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/22/2025, दिनांक 30.03.2026 की तालिका के क्रमांक-24 पर स्वीकृत कार्य-वि0ख0 पाली ग्राम बउण्ड्रा में महेन्द्र सिंह के घर से जूनियर हाई स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण की अनुमोदित लागत रु. 54.85 लाख को एतद्द्वारा रु. 64.85 लाख की लागत पर निम्न शर्तों के अधीन संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
2. इस कार्य की संशोधित लागत के सापेक्ष उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः165/2026/740पू०वि०नि०(1)/35-1-2026/35-1099/22/2025 तद्दिनांक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।